न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 62 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 263 निर्णय दिनांक 20-02-26

1. सोम कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर हाल चक 18 सी.डब्ल्यु.बी. तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. रतन कंवर पत्नी भीमसिंह जाति राजपूत निवासी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
दिनांक 03—07—2023

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री जालम सिंह पंवार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री पदमसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—**निर्णय**—

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 03—07—2025 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि मे से रास्ता कायम किय गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांट के नाम चक 18 सी.डब्ल्यु.बी. में मुरब्बा नम्बर 206/54 में किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपीलाण्ट के धारण की भूमि चक 18 सी.डबल्यू. बी. के मूरब्बा नंबर 206/54 के कि0न0 1, 10, 11, 20, 21 में से 02–02 बिस्वा रास्ता कायम करने हेतु धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच के दर्ज कर आगे की सारी कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय दिनांक 03.07.2025 को पारित किया है जो शुरू से ही एबीइनिशियो वॉयड कार्यवाही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के खेत मे आवागमन हेतु आम रास्ता स्वीकृतशुदा मू०न० 206/49,50,51,52,53 के कि0न0 1,10,11,20,21 मे कटानी स्वीकृतशूदा रास्ता है, होने के बावजूद भी अपीलाण्टा की भूमि को खुर्द बूर्द करने की गर्ज से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नक्शा पेश किया गया है उस नक्शे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तरीके से न्यायहित में देखा जाता तो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम की भूमि में ग्राम चारणवाला से रास्ता वैकल्पिक रूप से चल रहा है जो स्वीकृतशूदा दर्ज रिकॉर्ड है कटाणी रास्ता है जो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के जाने के लिए उपयुक्त है, जबकी उक्त तथ्यो के प्रतिकुल अपीलाण्टा के नाम की भूमि मे जानबूझकर रास्ता कायम किया है जिससे अपीलाण्टा की भूमि पर बने सिंचाई खाले को तोडने पर आंमदा है जिससे अपीलाण्ट को भारी नुकसान होगा। धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी तरह से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो तब ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है जबकी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की भूमि में अवागमन हेतू रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई पत्रावली पर मौजूद तथ्यो को गौर फरमाये जैर अपील निर्णय दिनांक 03–07–2025 पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट मंगवायी है वो हल्का पटवारी द्वारा बनाई गई है जबकी एक्ट में प्रावधान है कि रास्ते के मामले में मौंका स्वयं तहसीलदार द्वारा देखा जायेगा ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत रिपोर्ट भी सही नही होने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू दिनांक 03–07–2025 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021(2) पेज 1286, आरआरटी 2019(2) पेज 1544 प्रस्तुत किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का खेत खसरा नम्बर चक 18 सी.डब्ल्युबी के मुरब्बा नम्बर 206 / 53 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है। मुरब्बा नम्बर 206 / 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत सुदा रास्ता है। उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 206 / 49, 206 / 50, 206 / 51, 206 / 52, से आता है। रेस्पोडेन्ट के मुरब्बा नम्बर 206 / 53 के किला नम्बर 21 में पुलिया बनी है। मुरब्बा नम्बर 206 / 53 के दक्षिण दिशा में मुरब्बा नम्बर 206 / 54 में किला नम्बर 1 ता 25 अपीलांट की भूमि है। रेस्पोडेन्ट की भूमि की उतर दिशा से रास्ता चला रहा हैं। इसी चले आ रहे रास्ते को आगे स्वीकृत करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुरब्बा नम्बर 206 / 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तथा मुरब्बा नम्बर 206 / 55 कि किला नम्बर 1, 10 में रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ता आगे पुलिया से होत हुए सड़क मार्ग की और जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट देखकर ही रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट को इस रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहे गये रास्ते को ही स्वीकृत किया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली के अवलोकन से निम्नाकिंत तथ्य प्रकट होते है–

1– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत चारणवाला में आयोजित कैम्प में अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि कैम्प/लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जाने चाहिए।

2– पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि प्रार्थिया के खेत मुरब्बा नम्बर 206/53 में जाने के लिए इस मुरब्बे व इसके उतर दिशा में स्थित मुरब्बो में तीन–तीन बिस्वा कटाणी रास्ता दर्ज है। स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उसके खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

3– तहसीलदार रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि मुरब्बा नम्बर 206/55 के किला नम्बर 1 व 10 से होकर आगे नहर के पटडे तक रास्ता चालू था जो वर्तमान में बंद है परन्तु इस रिपोर्ट में यह उल्लेखित नही है कि क्या यह रास्ता कदीमी रास्ता था? यह रास्ता कितने वर्षो से चालू था? इसे कब बंद किया गया? क्या सुखाचार के अधिकार के तहत इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई अथवा नही?

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए आरटीए के महत्वपूर्ण बिन्दुओं– रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव व उपलब्ध विकल्पो मे से निकटतम रास्ता पर बिना तार्किक विवेचन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश कैम्प में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो कि विधिक रूप से सही नही है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश न होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–07–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-02-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
बीकानेर